



डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्ब0 / 495 / 2023

दिनांक: 22/09 / 2023

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
सम्बद्ध समस्त बी0एड0 महाविद्यालय,
डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय:—बी0एड0 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत् छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं के अनिवार्य स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उ0शि0) शिक्षा डिग्री विकास, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्रांक डिग्री विकास/48603/2023-24 दिनांक 21.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जो कि बी0एड0 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत् छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं के अनिवार्य स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण के सम्बन्ध में है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में समस्त बी0एड0 संस्थानों में स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स के प्रशिक्षण शिवरों के आयोजन हेतु भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:—दिशा-निर्देश एवं प्रारूप।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
3. सहायक कुलसचिव—आवासीय इकाई।
4. अधीक्षक—कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
5. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

22-2

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(उ०शि०)
शिक्षा डिग्री विकास
उ०प्र०, प्रयागराज।

सेवा में,

1. कुलसचिव
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।

2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उ०प्र०।

3. प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
उ०प्र०।

पत्रांक-डिग्री विकास/ 48603 /2023-24 दिनांक- 21/09/2023
विषय- विश्वविद्यालय/बी०एड० प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत् छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं के अनिवार्य स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र० के पत्र संख्या-एस०जी०-98/2023-24 दिनांक-04.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि विश्वविद्यालय/बी०एड० प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत् छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं के अनिवार्य स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त बी०एड० संस्थानों में स्पेशल इंट्रोडक्ट्री कोर्स के प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र० द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश का अपने स्तर से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- उक्तवत्।

AR (Adm.) (Aff.)
21/09/23
कुलसचिव

भवदीय
21/9/23
डॉ०(अपर्णा मिश्रा)
संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा
कृते शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा
उ०प्र०, प्रयागराज।

पृष्ठांकन-डिग्री विकास/ 48603-606 /उसी तिथि को।
प्रतिलिपि- डा० प्रभात कुमार, प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट एवं गाइड उ०प्र०, स्काउट भवन
गोला मार्केट, लखनऊ-226006।

21/9/23
डॉ०(अपर्णा मिश्रा)
संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा
कृते शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा
उ०प्र०, प्रयागराज।

uuf
22/09/23

O/c

पत्रांक संख्या - एस0जी0-98/991/2023-24

दिनांक 04 सितम्बर 2023

प्रेषक

प्रादेशिक मुख्यायुक्त,
भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0

सेवा में

निदेशक, (उ0शि0)
उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0
प्रयागराज।

विषय-विश्वविद्यालय/बी0एड0 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत् छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं के अनिवार्य स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि चरित्र निर्माण, अनुशासन एवं सुयोग्य नागरिकता के प्रशिक्षण के एक विशिष्ट अभिकरण के रूप में स्काउटिंग/गाइडिंग के प्रशिक्षण का एक विशिष्ट स्थान है।

इस आलोक में प्रदेश के समस्त बी0एड0 संस्थानों में स्पेशल इंट्रोडक्ट्री कोर्स के नाम से प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन हेतु आपके स्तर से समय-समय पर निर्देश निर्गत किये जाते रह रहे हैं।

इस अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत दिशा निर्देश पत्रांक-एस0जी0-98/281/2023-24 दिनांक 01.05.2023 निर्गत करते हुए प्रतिलिपि आपकी सेवा में प्रेषित की गयी है।

आपके स्तर से निर्देशों का प्रसारण प्रदेश के विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त बी0एड0 संस्थानों के लिए अभी तक न हो पाने के कारण प्रशिक्षण का कार्य सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पा रहा है।

अतः अनुरोध है कि समस्त कुल सचिव/अधिष्ठाता शिक्षा सकाय/बी0एड0 संस्थानों में अनिवार्य रूप से स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए समुचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। साथ ही साथ कुल सचिव/अधिष्ठाता शिक्षा सकाय का नाडल अधिकारी के रूप में नतुत्व करते हुए भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 के माध्यम से ही यह प्रशिक्षण आयोजित कराए जाने हेतु अनुरोध किया जाय। सुलभ सन्दर्भ हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-एस0जी0-98/281/2023-24 दिनांक 01.05.2023 की प्रति संलग्न की जा रही है।

भवदीय,

(डॉ० प्रभात कुमार)

प्रादेशिक मुख्यायुक्त

भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त कुल सचिव राज्य विश्व विद्यालय, उ0प्र0।
2. कुल सचिव/अधिष्ठाता शिक्षा सकाय (डीन एजुकेशन फैंकेल्टी) समस्त विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त प्रादेशिक आयुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0।
4. प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0।
5. प्रादेशिक संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड), भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0।
6. समस्त सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0।

(डॉ० प्रभात कुमार)

प्रादेशिक मुख्यायुक्त

भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0

भारत स्काउट और गाइड, 30 प्रो

98.39.39.2275

प्रादेशिक प्रशासन कार्यालय : स्काउट भवन, नील मार्केट, महानगर, राजकोट-360006

E-mail : upscoutsguides@yahoo.com, Website : www.bsgup.org

संजि 22 प्रिन संख्या एम 1-9407/1959-1960

मुख्य संरक्षक

उप मुख्य संरक्षक

अध्यक्ष

मुख्यायुक्त

नील थी राज्यपाल

माननीय मुख्यमंत्री

डा० महेश्वर सिंह

डा० प्रभात कुमार

30 प्रो

30 प्रो

30 प्रो

पूर्व अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, 30 प्रो

पत्रांक संख्या 5698/281/2023-24

दिनांक 1/05/2023

- 1- समस्त सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)
- 2 समस्त जिला सचिव
भारत स्काउट और गाइड, 30 प्रो।

विषय:- बी०एड०/डी०एल०एड० संस्थानों में अध्ययनरत छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं के अनिवार्य स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण के अन्तर्गत स्पेशल इंट्रोडक्ट्री कोर्स के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया

कृपया उपरोक्त विषयक प्रादेशिक मुख्यालय के पूर्व में निर्गत परिपत्रों का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संस्थानों में स्पेशल इंट्रोडक्ट्री कोर्स के आयोजन के सम्बन्ध में समय-समय पर दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे। पूर्व में निर्गत वे समस्त दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए वर्ष 2023-24 के लिए नये दिशा निर्देश संलग्न कर निर्गत किये जा रहे हैं।

2- वर्ष 2023-24 से बी०एड०/डी०एल०एड० संस्थानों में स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण की कार्यवाही अर्थात् शिबिरो की अनुमति, शिबिरोपरान्त सूची भेजना एवं सूची के अनुरूप प्रमाणपत्र निर्गत करने संबंधी समस्त कार्य ऑनलाइन ही होंगे।

3- उपरोक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि निर्गत दिशा निर्देशों का गम्भीरता से अवलोकन करते हुए कियान्तयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। निर्गत दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्नक - दिशा निर्देश।

महोदय,

(डा० प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 समस्त प्रादेशिक आयुक्त, भारत स्काउट और गाइड, 30 प्रो
- 2 समस्त कुल सचिव राज्य विश्व विद्यालय, 30 प्रो।
- 3 निर्देशक, राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, निशातगंज लखनऊ।
- 4 समस्त सहायक प्रादेशिक आयुक्त, भारत स्काउट और गाइड, 30 प्रो।
- 5 प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड, 30 प्रो।
- 6 प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट और गाइड, 30 प्रो।
- 7 प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट और गाइड, 30 प्रो।
- 8 समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, 30 प्रो।
- 9 समस्त जिला मुख्यायुक्त/जिला आयुक्त, (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट और गाइड, 30 प्रो।
- 10 समस्त जिला प्रशिक्षण/संगठन आयुक्त, (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट और गाइड, 30 प्रो।
- 11 समस्त जिला स्काउट मास्टर (बैरिक)/जिला गाइड कौन्सल (बैरिक) 30 प्रो।
- 12 समस्त डी०एल०एड०/बी०एड० संस्थान, 30 प्रो।
- 13 आई०टी० संकेत को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा० प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त

स्पेशल इन्ट्रोडक्टरी कोर्स वर्ष 2023-24 (बी0एड0/डी0एल0एड0) के आयोजन हेतु दिशा निर्देश

1. स्पेशल इन्ट्रोडक्टरी कोर्स बी0एड0/डी0एल0एड0 प्रशिक्षण शिविर हेतु निम्नलिखित:-
2. बी0एड0/डी0एल0एड0 शिविरों में एल0ओ0सी0 एवं स्टाफ की नियुक्ति निम्नानुसार होगी -
 (1)-एल0ओ0सी0 एल0टी0 ए0एल0टी0 अथवा हिमालय बुडबैज।
 (2)-सहायक स्टाफ (स्का0 विंग) - एडवांस कोर्स/जिला संगठन कमिश्नर/जिला प्रशिक्षण कमिश्नर/काउन्सिलर।
 (3)-सहायक स्टाफ (स्का0 विंग) - एडवांस कोर्स/जिला संगठन कमिश्नर/जिला प्रशिक्षण कमिश्नर/काउन्सिलर।
3. बी0एड0/डी0एल0एड0 प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षक नियुक्त किए जाने का संबंधित सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर(स्का0/गा0) के होगा। सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर(स्का0/गा0) मण्डल के सम्बन्धित जनपदों में प्रशिक्षक नियुक्त करने में जिला सचिव एवं जिला प्रशिक्षण कमिश्नर (स्काउट, गाइड) का सहयोग प्राप्त करेगा।
4. बी0एड0/डी0एल0एड0 शिविरों में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों की सूची एकत्रित की दिधि से प्रादेशिक मुख्यालय का सख्त प्रत्येक के अनुसार अनिवार्य रूप से ऑन लाइन प्राप्त करायी जाय। इसी के आधार पर प्रादेशिक मुख्यालय से ऑन लाइन प्रमाणपत्र मिलने हाने।
5. प्रत्येक बी0एड0/डी0एल0एड0 शिविरों का जनपदीय एवं प्रादेशिक अंश विभाजन प्रदान करने में जिला कार्यालय का शतप्रतिशत दायित्व सम्बन्धित मण्डल के सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) का होगा। यदि इसमें कोई वित्तीय अनिश्चितता या नियम की अवहेलना पायी जाती है तो उसका सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर (स्काउट/गाइड) का होगा।
6. शुल्क एवं सूची प्रादेशिक मुख्यालय में प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 05 कार्यदिन के भीतर प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा प्रमाणपत्र जिला सरधान/सम्बन्धित संस्था को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन ही प्रेषित करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. प्रत्येक कोर्स में न्यूनतम दो प्रशिक्षक (एक महिला एक पुरुष) और अधिकतम 4 प्रशिक्षक (महिला प्रशिक्षक/पुरुष प्रशिक्षक का अनुपात संस्था के प्रतिभागी संख्या के आधार पर) ही नियुक्त होंगे।
8. स्पेशल इन्ट्रोडक्टरी कोर्स हेतु सख्त यही 5 दिन की होगी।
9. जिलों में प्रतिभागी संस्थान के गणवेश में ही प्रतिभाग करेगी।
10. जवेल स्कार्फ एवं वापेल शिविर अवधि में पहनना अनिवार्य होगा जो भारत स्काउट और गाइड, प्रादेशिक मुख्यालय लखनऊ द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।
11. प्रशिक्षण शिविरों की अनुमन्यता का कार्य सम्पूर्ण शैक्षिक संघ अर्थात् जुलाई से जून की अवधि में किये जायेंगे। शत प्रतिशत सफलता के लिए प्रत्येक तीन माह का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्य किया जायेगा जो निम्नवत् होगा-
 (क) -जुलाई से सितम्बर तक सम्पूर्ण संस्थानों की संख्या का 25 प्रतिशत।
 (ख) -अक्टूबर से दिसम्बर तक सम्पूर्ण संस्थानों की संख्या का 35 प्रतिशत।
 (ग) -जनवरी से मार्च तक सम्पूर्ण संस्थानों की संख्या का 20 प्रतिशत।
 (घ) -अप्रैल से जून तक सम्पूर्ण संस्थानों की संख्या का 20 प्रतिशत।
12. स्पेशल इन्ट्रोडक्टरी कोर्स हेतु निम्नविवरणानुसार शुल्क लिया जायेगा और व्यय किया जायेगा -
 -शिविर शुल्क रु0-1000/- प्रति प्रतिभागी (जिसका विवरण निम्नवत् होगा) -
 अ-प्रदेश अंश - रु0-350/- प्रति प्रतिभागी संस्थान द्वारा सीधे प्रदेश के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।
 रु0 -50/- प्रति प्रतिभागी वनप्रकार फण्ड हेतु संस्थान द्वारा सीधे प्रदेश के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।
 ब-जिला अंश - रु0-150/- प्रति प्रतिभागी संस्थान द्वारा सीधे जिले के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।
 स-संस्थान अंश - रु0-450/- प्रति प्रतिभागी, जिसमें से निम्न विवरणानुसार मुगतान किया जायेगा
 (अ)-लीडर ट्रेनर - रु0-600/ प्रति दिन।
 (ब)-सहायक लीडर ट्रेनर - रु0 550/ प्रति दिन।
 (स)-हिमालय बुडबैज होल्डर-रु0 500/ प्रति दिन।
 (द) एडवांस कोर्स - रु0-400/ प्रति दिन।
 (य)-मांग व्यय - रु0-100/ प्रति दिन की दर से।
 (र)-प्रशिक्षक अवधि में प्रशिक्षक के आवश्यक आतिथ्य सत्कार का दायित्व सम्बन्धित संस्थान का होगा।

प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान का प्रादेशिक समूह का सहायक सचिव बनाने के लिए प्रति संस्थान ₹०-६०००/- (केवल एक बार) के राशि आवंटन पर की सेवा किया जाएगा। शिबिर अनुभविका एवं प्रशिक्षण शिबिरों के आयोजन के लिए अनुभविका के अनुषंगान्त में सुनिश्चित किया जाएगा।

14. वर्ष 2023-24 में 31 अक्टूबर 2023 से प्रारम्भ होने वाले डी०ए०ए०/डी०ए०ए०/डी०पी०ए० शिबिरों के प्रमाणपत्र सहित समस्त कार्यवाही आमलाइन की सम्पन्न होगी।
15. डी०ए०ए०ए० शिबिरों हेतु प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नाडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
16. डी०ए०ए०ए०/डी०ए०ए० शिबिरों के लिए विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शिक्षा सहायक (हीन प्रोफेशन केवल) केवल सचिव या सहायक द्वारा नामित प्राधिकारी नाडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
17. मण्डलीय सहायक प्रादेशिक समूह अनुषंगान्त दिन्दि 15 एवं 16 में वर्णित नाडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर उनका सहयोग से शत प्रतिशत सफलता के लिए कार्य करेंगे।

पाठ्यक्रम - (डी०ए०ए०ए०/बी०ए० डी०पी०ए०/बी०पी०ए०)

1. स्वासतिंग ग्राइडिंग के आधारभूत तत्व
2. स्वासतिंग ग्राइडिंग की उत्पत्ति एवं प्रयोग
3. स्वासतिंग ग्राइडिंग की विभिन्न शाखाएँ
4. वेब/बुलबुल/स्काउट/ग्राइड सेवर/रेजर के विकल्प के कार्यक्रम
5. युनिट लीडर का प्रगतिशील प्रशिक्षण
6. गैड एंड बन्धन (द्वितीय सोपान तक)
7. ध्वज शिष्टाचार/कब/बुलबुल/स्काउट/ग्राइड/सेवर/रेजर पृथक पृथक
8. गैडी स्मार्टनेस गुड आर्डर एवं सकेट
9. विश्व ज्ञान का ज्ञान के चिन्ह अनुभविका सम्पन्न
10. वीमेग एवं हाइकिंग
11. समारोह एवं प्रदर्शन
12. विभिन्न प्रकार के अलंकरण/पुरस्कार
13. अन्तरराष्ट्रीय परिचयनाएँ जैसे-मैसन्जर्स आठ पीस सार्वरस्मार्ट फ्रीबीटिंग की आदि
14. प्रथमिकता सहायता



भारत स्काउट और गाइड उ0प्र0



प्रादेशिक मुख्यालय गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ
बी0एड0/डी0एल0एड0 प्रशिक्षण शिविरों का विवरण

मण्डल

जिला

महाविद्यालय/संस्थान का नाम

EMPHASED:

शिविर की तिथियाँ

से

तक

प्रतिभागी छात्राध्यापक

छात्राध्यापिकाएँ

कुल योग

कोर्स स्टाफ का विवरण (स्काउट विंग)

क्रम	नाम प्रशिक्षक	पद/दायित्व	स्काउटिंग में योग्यता	मो0न0
1		शिविर संचालक		
2		सहायक		

कोर्स स्टाफ का विवरण (गाइड विंग)

क्रम	नाम प्रशिक्षिका	पद/दायित्व	गाइडिंग में योग्यता	मो0न0
1		शिविर संचालिका		
2		सहायिका		

बी0एड0/डी0एल0एड0 प्रशिक्षण शुल्क भुगतान हेतु निर्देश :-

1. महाविद्यालय को कुल रु0 550/- प्रति छात्र प्रशिक्षण शुल्क (जिस में निम्न रा 350/- एवं रु0 50/- कुल रु0 400/- प्रति छात्र/छात्रा प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड उ0प्र0 के नाम ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से तथा रु0-150/- प्रति छात्र/छात्रा जिला सस्था के नाम चेक/ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।
2. प्रादेशिक मुख्यालय को देय धनराशि प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड उ0प्र0, लखनऊ के नाम से बैंक ड्राफ्ट या आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट/मनी ट्रान्सफर के माध्यम से प्रदेश के खाते में निम्नानुसार भेजी जाय -

खाते का नाम : प्रादेशिक सचिव, उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड
खाता संख्या : 10122401342
बैंक का नाम : भारतीय स्टेट बैंक
शाखा का नाम : जवाहर भवन लखनऊ
आई0एफ0एस0 काड : SBIN0006144

3 पांच दिवसीय शिविर अवधि में प्रशिक्षकों के जलपान/भाजन, मानदण की व्यवस्था महाविद्यालय/सरधान द्वारा की जायेगी।

जिला सस्था की सस्तुति

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अश रु० (शब्दों में) बैंक
डाफ्ट या आर०टी०जी०एस०/नेफ्ट/मनी ट्रान्सफर के माध्यम से दिनांक को जिला सस्था के काष
में प्राप्त हो गया है। महाविद्यालय के पक्ष में जिला सस्था की रसीद सं० दिनांक निर्गत
की गई।

H0 जिला सचिव

नाम -

मुहर

प्रादेशिक संस्था के प्रयोगार्थ -

प्रमाणित किया जाता है कि प्रदेश अश रु० (शब्दों में) बैंक
डाफ्ट या आर०टी०जी०एस०/नेफ्ट/मनी ट्रान्सफर के माध्यम से दिनांक को प्रादेशिक सस्था के
खाते में जमा किया गया। महाविद्यालय/जिला सस्था के पक्ष में रसीद सं० दि० निर्गत की
गई।

लेखाकार,
भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०

